सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1555/MH/12/2023-ESDW **दिनांक: 20.04.2023**

श्री गंगाथरन डी,
कलेक्टर & जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय, पुराना आगरा रोड,
नाशिक - 422 002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

विषय: गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी व्यक्ति की जमीन का धोके से खरीद फरोख्त करने के संबंध में श्रीमति दीपाली किशोर बांडे, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख (महिला अघाडी), एकलव्य भिल्ल समाज संघटना, महाराष्ट्र, नांदूरगाँव, भिल्ल गल्ली, नाशिक, महाराष्ट्र का दिनांक 23.11.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्रीमति दीपाली किशोर बांडे से दिनांक 23.11.2022 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

Jarode

(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्रीमति दीपाली किशोर बांडे,**
   उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख (महिला अघाडी),
   एकलव्य भिल्ल समाज संघटना, महाराष्ट्र,
   नांदूरगाँव, भिल्ल गल्ली, नाशिक, महाराष्ट्र

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**